(21)

पत्रांक : वित्त–19 / वित्तीय नियंत्रण / 3001 / 2015.....1681...... / वि०

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

अमित खरे,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी
झारखण्ड।

राँची / दिनांक : 10.06.2015

विषय: निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थायी अनुदेश।

महोदया / महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि राज्य सरकार द्वारा निधि की निकासी एवं व्यय के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2561 / वि० (2) दिनांक 17.04.1998 (अंगीकृत), परिपत्र संख्या 3176 दिनांक 04.09.2001, परिपत्र संख्या 322 दिनांक 28.12.2002, परिपत्र संख्या 1800 दिनांक 15.07.2003 एवं परिपत्र संख्या 533 दिनांक 03.03.2004 के द्वारा निर्गत स्थायी अनुदेश प्रभावी है।

2. वित्त विभाग द्वारा व्यय के आँकड़ों की समीक्षा करने पर यह तथ्य दृष्टिपथ में आया है कि कतिपय विभागों के द्वारा बजट की राशि का व्यय वित्तीय वर्ष में समानुपातिक रूप से नहीं किया जाता है एवं फरवरी–मार्च, महीने में अधिकांश राशि की निकासी की जाती है। इसके फलस्वरूप राजकोष का व्यय (Cash out flow) असमान्य रूप से प्रभावित होता है तथा वित्तीय वर्ष विशेष में भौतिक उपलब्धि भी ससमय नहीं हो पाती है। अंकनीय है कि राजस्व एवं गैर राजस्व प्राप्तियाँ क्रमिक रूप से प्रत्येक माह में राजकोष में प्राप्त होती हैं, इसलिए व्यय को भी क्रमिक रखने से वित्तीय प्रबंधन बेहतर रूप से सुनिश्चित होगा और साथ ही राजकोष स्थिर संतुलन को प्राप्त कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

(20)

3. एतदर्थ यथा संदर्भित पूर्व के परिपत्रों को संशोधित करते हुए योजना मद के व्यय के लिए निम्नरूपेण व्यय की अधिसीमा का निर्धारण किया जाता है :–

अवधि	**योजना बजट का प्रतिशत**
1ली अप्रैल से 30 सितम्बर तक	50 प्रतिशत
1ली अक्टूबर से 31 मार्च तक	शेष 50 प्रतिशत

परन्तु मार्च के महीने में व्यय की अधिसीमा 15 प्रतिशत तक ही सीमित होगी। मार्च महीने में 15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

4. वित्तीय वर्ष में समानुपातिक व्यय के अभिष्ट की प्राप्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि योजना मद में शत–प्रतिशत स्वीकृत्यादेश 30 जून, 2015 तक निश्चित रूप से निर्गत कर दिए जायें।

5. सभी विभाग कोषागार संहित के नियम 300 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह० 10.6.2015

(अमित खरे)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वित्त–19/वित्तीय नियंत्रण/3001/2015 1681/वि० **राँची/दिनांक :** 10.06.2015

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 10.6.2015

(अमित खरे)
प्रधान सचिव।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner